"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 33] रायपुर, बुधवार, दिनांक 16 फरवरी 2005 — माघ 27, शक 1926

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग
जी. ई. रोड, सिविल लाईन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 फरवरी 2005

क्रमांक 5/सीएसईआरसी/रेगुलेशन–5/2004 – विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 86 (1) (जी) एवं 181 (1) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग एतद द्वारा **छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (शुल्क एवं प्रभार) विनियम, 2004** विनियम बनाता है।

1. संक्षिप्त शीर्षक, प्रारम्भ एवं विस्तार

(1) इस विनियम को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (शुल्क एवं प्रभार) विनियम, 2004 (वर्ष 2004 का क्रमांक 5) कहा जायेगा।

(2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से प्रवृत्त होंगे।

(3) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा।

(4) ये विनियम, प्रकाशन की तिथि के समय आयोग के समक्ष लंबित आवेदन/याचिका एवं ऐसे आवेदन/याचिका जिन पर प्रकाशन के पूर्व आयोग द्वारा निर्णय लिया गया हो और आवेदक द्वारा प्रावधिक शुल्क या प्रभार का भुगतान किया गया हो या किया जाना हो सहित आयोग के क्षेत्राधिककार में आने वाले सभी मामलों पर लागू होंगे।

2. परिभाषाएं

(1) इन विनियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो –

(ए) ''**केन्द्रीय अधिनियम**'' से अभिप्रेत है विद्युत अधिनियम, 2003 (वर्ष 2003 का क्रमांक 36)

(बी) ''**आयोग**'' से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग

(सी) ''**शुल्क**'' से अभिप्रेत है अनुसूची 1 में दर्शित शुल्क

(डी) ''**जुर्माना और/या प्रभार**'' से अभिप्रेत है आयोग द्वारा केन्द्रीय अधिनियम में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर लगाये जाने वाला जुर्माना और/या प्रभार

(ई) ''**निधि**'' से अभिप्रेत है ऐसी निधि जो केन्द्रीय अधिनियम की धारा 103 के तहत निर्मित की गई हो।

(2) शब्द व अभिव्यक्तियों, जो ऊपर परिभाषित नहीं किये गये हैं, उनका अर्थ वही होगा जैसा कि केन्द्रीय अधिनियम और/या छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (कार्य संचालन) विनियम, 2004 में है।

3. याचिका/आवेदन पर शुल्क

(1) आयोग के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली प्रत्येक याचिका/आवेदन को इस विनियम की अनुसूची 1 में उल्लेखित शुल्क या प्रभार के साथ देना होगा।

(2) इस विनियम के तहत भुगतान किए जाने वाले शुल्क या प्रभार का भुगतान रायपुर में देय बैंक ड्राफ्ट या पे–आर्डर के द्वारा **छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग** को करना होगा अथवा रूपये एक हजार से अधिक राशि न होने की दशा में भुगतान नगद भी किया जा सकता है।

(3) इस विनियम के तहत आयोग द्वारा शुल्क अथवा प्रभार के रूप में प्राप्त राशि को निधि के बैंक के खाते में जमा किया जायेगा।

परन्तु यह कि जब तक निधि स्थापित नहीं हो जाती, तब तक इस विनियम के अनुसार प्राप्त शुल्क या प्रभार राशि को आयोग के निर्दिष्ट बैंक खाते में रखा जा सकता है।

परन्तु यह भी कि उपरोक्तानुसार बैंक में जमा राशि का उपयोग आयोग कर सकेगा जब तक कि केन्द्रीय अधिनियम की धारा 103 के तहत राज्य शासन अधिसूचना द्वारा अन्यथा विनिर्दिष्ट न करे।

4. दण्ड/जुर्माना वसूली की प्रक्रिया

(1) केन्द्रीय अधिनियम की धारा 142 एवं धारा 146 के तहत आयोग द्वारा या केन्द्रीय अधिनियम की धारा 143 के तहत न्यायनिर्णयन अधिकारी द्वारा आदेशित दण्ड आयोग के आदेश या न्यायनिर्णयन अधिकारी के आदेश की तिथि से 30 दिन, या आयोग अथवा न्यायनिर्णय अधिकारी, जैसा भी हो, द्वारा बढ़ाई गई समयावधि, के भीतर भुगतान करना होगा।

(2) दण्ड/जुर्माना की राशि का भुगतान इस विनियम की धारा 3(2) के अनुसार ही देय होगा।

5. अनुज्ञप्ति हेतु शुल्क का भुगतान

(1) केन्द्रीय अधिनियम की धारा 14 के अधीन स्वीकृत सभी अनुज्ञप्ति पर इस विनियम की अनुसूची 1 के अनुसार शुल्क देय होगा।

(2) सभी विद्यमान अनुज्ञप्तिधारियों/माने हुए अनुज्ञप्तिधारियों को वार्षिक शुल्क का भुगतान वर्ष 2004–05 से अनुसूची 1 के अनुसार करना होगा और उन्हें कोई प्रारंभिक शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा।

(3) वित्तीय वर्ष 2005–06 से प्रारम्भ होने वाले सभी वार्षिक शुल्क का प्रत्येक वर्ष 15 अप्रैल तक भुगतान करना होगा। अपितु वर्ष 2004–05 के लिए शुल्क छः माह हेतु, अर्थात आधी दर पर, राजपत्र में इस विनियम के प्रकाशन से 30 दिवस के भीतर भुगतान करना होगा।

(4) वार्षिक शुल्क की देरी से भुगतान की गई राशि पर एक प्रतिशत प्रति माह की दर से ब्याज देय होगा।

6. टैरिफ (विद्युत दर) में समावेश

इस विनियम के अनुसार जमा किये गये शुल्क या प्रभार की राशि को, अनुज्ञप्तिधारी, टैरिफ निर्धारण खर्च के रूप में लेखा में समाहित कर सकेगा।

परन्तु यह कि केन्द्रीय अधिनियम के तहत लगाया गया दण्ड/जुर्माना की राशि, को टैरिफ निर्धारण में खर्च के रूप में स्वीकार नहीं किया जायेगा।

7. संशोधन करने की शक्ति

आयोग किसी भी समय इस विनियम के किसी उपबंध में परिवर्तन, परिवर्धन, संशोधन या सुधार कर सकेगा।

8. **कठिनाई दूर करने की शक्तियां**

यदि इस विनियम के किन्ही उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो आयोग, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, जो कठिनाईयों को दूर करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक या समाचीन हो और केन्द्रीय अधिनियम से असंगत न हो, अनुज्ञप्तिधारी को समुचित कार्यवाही करने के निर्देश दे सकेगा।

टीपः— इस विनियम के हिन्दी संस्करण की अंग्रेजी संस्करण से प्रावधानों की व्याख्या या समझने में अंतर होने की दशा में, अंग्रेजी संस्करण (मूल संस्करण) का तात्पर्य सही माना जावेगा और इस संबंध में किसी विवाद की स्थिति में आयोग का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

आयोग के आदेशानुसार

(अजय श्रीवास्तव)
उपसचिव

अनुसूची 1 : शुल्क और प्रभार

क्र.	वर्णन	शुल्क / प्रभार
1	केन्द्रीय अधिनियम की धारा 9(2) के द्वितीय उपबंध के अनुसार पारेषण उपलब्धता के संबंध में न्याय निर्णय हेतु शुल्क जिसका भुगतान उस व्यक्ति द्वारा किया जावेगा जिसने ऐसे विवाद को आयोग में प्रस्तुत किया हो।	रू.10,000 चाही गई प्रथम एक मेगावाट पारेषण क्षमता के लिए एवं रू.1000 प्रति अतिरिक्त मेगावाट क्षमता के लिए, जो ज्यादा से ज्यादा रू.1,00,000 होगा।
2	अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत अनुज्ञप्ति में छूट के लिए याचिका अथवा पुनर्विलोकन याचिका	आवेदन / याचिका को दर्ज करते समय विनिर्दिष्ट किया गया शुल्क जो न्यूनतम रू.5,000 होगा।
3	केन्द्रीय अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत अनुज्ञप्ति से छूट लेने वाले अनुज्ञप्तिधारी / माने हुए अनुज्ञप्तिधारी द्वारा देय वार्षिक शुल्क	आवेदन / याचिका को दर्ज करते समय विनिर्दिष्ट किया गया शुल्क जो न्यूनतम रू.5,000 होगा।
4	केन्द्रीय अधिनियम की धारा 14 के तहत अनुज्ञप्ति स्वीकृत किये जाने पर देय अनुज्ञप्ति शुल्क – (ए) विद्युत पारेषण के लिए पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के रूप में (बी) विद्युत वितरण के लिए वितरण अनुज्ञप्तिधारी के रूप में (सी) विद्युत व्यापार करने के लिए विद्युत व्यापारी के रूप में	 (ए) रू. 5,00,000 (बी) रू. 5,00,000 (सी) रू. 5,00,000
5	वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क– (ए) पारेषण अनुज्ञप्ति (बी) वितरण अनुज्ञप्ति (सी) व्यापार अनुज्ञप्ति नोटः (i) वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क वित्तीय वर्ष के शुरू में ही अग्रिम रूप में देय होगा। (ii) कि पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क की गणना उसके आगामी वित्तीय वर्ष की अनुमोदित / आंकलित कुल पारेषण क्षमता के अनुबंध के अनुसार होगी। (iii) वितरण अनुज्ञप्ति एवं व्यापारिक अनुज्ञप्ति के लिए इसके आगामी वित्तीय वर्ष हेतु अनुमोदित / आंकलित विद्युत बिक्री के राजस्व के आधार पर वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क की गणना की जायेगी।	(ए) वर्ष अथवा उसके अंश के लिए प्रभावशील पारेषण क्षमता के प्रचलित अनुबंध पर रू.1,000 प्रति मेगावाट परन्तु न्यूनतम रू.1,00,000 एवं अधिकतम रू.10,00,000 (बी) विद्युत बिक्री से प्राप्त राजस्व का 0.03 प्रतिशत। (सी) विद्युत बिक्री से प्राप्त राजस्व का 0.03 प्रतिशत।

	(iv) वास्तविक अनुबंधित पारेषण क्षमता या विद्युत विक्रय से प्राप्त वास्तविक राजस्व, जैसा भी हो, और अनुमोदिन/आंकलन से वास्तविक पारेषण क्षमता अनुबंधों या वास्तविक राजस्व (जैसा भी हो) के आधार पर निकाले गये राजस्व में यदि कोई अंतर आता है तो अनुज्ञप्ति शुल्क में आधिक्य या कमी का समायोजन बाद के वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क में किया जायेगा। (v) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल केन्द्रीय अधिनियम की धारा 172 (ए) के प्रावधानों के अनुसार राज्य पारेषण युटिलिटी एवं अनुज्ञप्तिधारी की तरह कार्य कर रहा है, तब तक उसे वार्षिक शुल्क जो ऊपर (बी) के लिए (वितरण अनुज्ञप्ति के लिए) निर्धारित शुल्क के अनुसार भुगतान वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में करना होगा।	
6	केन्द्रीय अधिनियम की धारा 17 के अनुसार पूर्व अनुमोदन हेतु आवेदन	जिस कारोबार का पूर्वानुमोदन चाहा गया है उसके मूल्य का 0.01 प्रतिशत जो कम से कम रू. 2,00,000 एवं अधिकतम रू. 15,00,000 तक सीमित होगा।
7	केन्द्रीय अधिनियम की धारा 18 के तहत अनुज्ञप्ति के संशोधन का आवेदन – (ए) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा (बी) ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा जो अनुज्ञप्तिधारी न हो	 (ए) रू.1,00,000 (बी) रू. 50,000
8	केन्द्रीय अधिनियम की धारा 19 (2) के तहत प्रतिसंहरण हेतु आवेदन (ए) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा (बी) अनुज्ञप्तिधारी से भिन्न अन्य व्यक्ति द्वारा	 (ए) रू. 5,00,000 (बी) रू. 1,00,000
9	(ए) केन्द्रीय अधिनियम की धारा 35 के तहत बीच में पड़ रही पारेषण सुविधाओं का उपयोग करने हेतु आवेदन (बी) केन्द्रीय अधिनियम की धारा 35 के उपबंध के तहत उपलब्ध अतिशेष क्षमता की मात्रा के बारे में विवाद पर अधिनिर्णय	(ए) रू. 50,000 (बी) रू. 5,00,000
10	केन्द्रीय अधिनियम की धारा 36 (1) के उपबंध तहत दरें, प्रभार, नियम एवं शर्तों के निर्धारण हेतु आवेदन	रू.2,50,000
11	केन्द्रीय अधिनियम की धारा 40 और उसके अंतर्गत विनिर्दिष्ट विनियमों के अनुसार बिना भेदभाव के मुक्त अभिगमन में विवाद की स्थिति में अधिनिर्णय हेतु, जिसका उल्लेख ऊपर कहीं नहीं हो – (ए) अनुज्ञप्तिधारी या उत्पादन कंपनी द्वारा दिया गया आवेदन	 (ए) रू. 5,00,000

	(बी) ऐसा व्यक्ति द्वारा दिया गया आवेदन जो केप्टिव उत्पादन संयंत्र का निर्माण किया हो व उसका संधारण तथा संचालन करता हो (सी) उपभोक्ता द्वारा दिया गया आवेदन	(बी) रू. 25,000 (सी) रू. 5000
12	केन्द्रीय अधिनियम की धारा 42 (2), (3) एवं (4) और उसके अंतर्गत विनिर्दिष्ट विनियमों के अनुसार बिना भेदभाव के मुक्त अभिगमन में विवाद की स्थिति में अधिनिर्णय – (ए) अनुज्ञप्तिधारी या उत्पादन कंपनी, जो कि नीचे 13 (ए) (ii) में उल्लेखित के अलावा हो, के द्वारा दिया गया आवेदन (बी) उत्पादन कंपनी जो सीधे वितरण अनुज्ञप्तिधारी की वितरण व्यवस्था से जुड़ी है या ऐसे व्यक्ति जिसने केप्टिव उत्पादन संयंत्र का निर्माण किया है एवं उसका संधारण तथा संचालन करता हो, के द्वारा प्रस्तुत आवेदन (सी) उपभोक्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन	(ए) रू. 5,00,000 (बी)रू. 25,000 (सी)रू. 5,000
13	(ए)उत्पादन कंपनी द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारी को विद्युत देने के लिए धारा 62(1) (ए) के अनुसार टैरिफ निर्धारण शुल्क (i) पारम्परिक ईंधन (कोयला, तेल, इत्यादि) के संयंत्र (ii) गैर–पारम्परिक या नवीनीकृत ऊर्जा स्त्रोतों सह– उत्पादन सहित (बी) धारा 62 (1) (बी) के अनुसार वार्षिक/आधार वर्ष का विद्युत पारेषण के टैरिफ निर्धारण के लिए शुल्क **नोटः** यह शुल्क अनुज्ञप्तिधारी के आवेदन देने पर या किसी व्यक्ति के आवेदन पर या आयोग द्वारा स्वप्रेरणा से टैरिफ निर्धारण पर लिया जावेगा। (सी) धारा 62(1)(डी) के अनुसार विद्युत की फुटकर बिक्री हेतु वार्षिक/आधार वर्ष के लिए विद्युत टैरिफ निर्धारण पर शुल्क **नोटः** यह शुल्क अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आवेदन देने पर या किसी व्यक्ति के आवेदन पर या आयोग द्वारा स्वप्रेरणा से टैरिफ निर्धारण पर लिया जावेगा। (डी) समन्वित इकाई (utility)या माने हुए अनुज्ञप्तिधारी के वार्षिक/आधार वर्ष के लिए टैरिफ निर्धारण पर शुल्क	(i)100 मेगावाट की क्षमता के संयंत्रों तक रू. 5,00,000 प्रत्येक एवं अतिरिक्त मेगावाट या उसके भाग पर रू.2000 प्रति मेगावाट (ii) प्रथम 10 मेगावाट तक रू. 1,00,000 एवं प्रत्येक अतिरिक्त मेगावाट या उसके भाग पर रू. 2000 प्रति मेगावाट (बी) रू. 10,00,000 (सी) रू. 10,00,000 (डी) रू. 25,00,000

	नोटः यह शुल्क अनुज्ञप्तिधारी के आवेदन देने पर या किसी व्यक्ति के आवेदन पर या आयोग द्वारा स्वप्रेरणा से टैरिफ निर्धारण पर लिया जावेगा।	
14	वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत क्रय या विद्युत की प्राप्ति की कार्यवाही या कीमत का अनुमोदन तथा विद्युत क्रय अनुबंध के अनुमोदन के लिए याचिका/आवेदन शुल्क (ए) पारंपरिक ईंधन (कोयला, तेल इत्यादि) के संयंत्र (बी) गैर–पारंपरिक ईंधन या नवीनीकृत ऊर्जा स्त्रोतों के संयंत्र	(ए) रू. 5,000 प्रति मेगावाट (कम से कम रू.50,000 एवं अधिकतम रू. 10,00,000) (बी) उपरोक्त के 50 प्रतिशत राशि
15	परिवर्तनीय लागत समायोजन प्रभार के लिए आवेदन शुल्क	रू. 50,000
16	(ए)टैरिफ निर्धारण आदेश या विद्युत क्रय अनुबंध या अनुज्ञप्तिधारी द्वारा क्रय की जाने वाली विद्युत दरों के पुनर्विलोकन का आवेदन (बी)किसी संस्था/संगठन/कम्पनी के द्वारा विद्युत टैरिफ या विद्युत क्रय अनुबंध या क्रय की जाने वाली विद्युत दरों के पुनर्विलोकन का आवेदन (सी)व्यक्तिगत उपभोक्ता के द्वारा विद्युत टैरिफ या विद्युत क्रय अनुबंध या क्रय की जाने वाली विद्युत दरों के पुनर्विलोकन का आवेदन	(ए)टैरिफ निर्धारण के मूल आवेदन के समय भुगतान किये गये शुल्क का 10 प्रतिशत। (बी)रू. 25,000 (सी)रू. 10,000
17	केन्द्रीय अधिनियम की धारा 45 एवं 46 के अंतर्गत वितरण अनुज्ञप्तिधारी की प्रभारों की अनुसूची के अनुमोदन का आवेदन	रू.1,00,000
18	केन्द्रीय अधिनियम की धारा 67(4) एवं (5) में उठने वाले विवाद (सड़क एवं रेल पथों की खुदाई, आदि से संबंधित)	रू. 10,000
19	केन्द्रीय अधिनियम की धारा 86 (1) (एफ) में वर्णित किसी भी विवाद के अधिनिर्णय, अनुज्ञप्तिधारी व उत्पादन कम्पनी के बीच एवं आपस में अनुज्ञप्तिधारियों के बीच विवाद पर अधिनिर्णय जो इस अनुसूची में अन्यत्र न दर्शाये गये हो।	रू. 5,00,000
20	केन्द्रीय अधिनियम की धारा 86 (1) (एफ) में पारित आदेश का पुनर्विलोकन का आवेदन	रू. 50,000
21	अंतवर्ती आवदेन	रू. 5,000
22	मुख्य विद्युत निरीक्षक के निर्णय के विरूद्ध अपील	रू. 5,000
23	आयोग के आदेशों के पुनर्विलोकन का आवेदन, जो इस अनुसूची में अन्यत्र उल्लेखित नहीं है	रू. 10,000
24	आयोग के रिकार्ड/आदेशों के निरीक्षण का आवेदन	रू.100 प्रति प्रकरण
25	आयोग के दस्तावेजों/आदेशों की प्रतियां प्रदाय करना	रू. 2 प्रति पेज
26	विविध आवेदन अर्थात ऐसे आवेदन जिसका अनुसूची में अन्यत्र उल्लेख न हो – (ए) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आवेदन (बी) व्यैक्तिक उपभोक्ता द्वारा आवेदन (सी) व्यैक्तिक एवं अन्य का आवेदन	 (ए) रू.10,000 (बी) रू.250 (सी) रू.100